

भारतीय रिज़र्व बैंक प्रेस प्रकाशनी

पूर्णतर पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर समिति की रिपोर्ट : भारतीय रिज़र्व बैंक ने कार्यदल का गठन किया

1 सितंबर 2006

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वर्तमान नियमों की पुनः जाँच करने और पहले से चले आ रहे उदारीकरण के मार्ग में परिचालनगत अड़चनों को हटाने के लिए सिफारिश करने हेतु आंतरिक कार्यदल का गठन किया है।

श्री सलीम गंगाधरन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कार्यदल की अध्यक्षता की जाएगी और इस दल के निम्नलिखित कार्य होंगे -

- (क) वर्तमान नियमों की जाँच करना जो चालू और पूंजी खातों में रुकावटें लाते हैं खासकर एक खाते की मद जिसका प्रभाव दूसरे खाते में होता है तथा ऐसे नियमों में से असंगतियों को हटाना।
- (ख) चालू खाता परिवर्तनीयता के संदर्भ में वर्तमान प्रत्यावर्तन / अभ्यर्पण आवश्यकताओं की जाँच करना और पूंजी खाते का प्रबंधन करना।
- (ग) ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना जहाँ क्रियाविधि को कम किया जा सकता है और जिसका सरलीकरण संभव हो और परिचालनगत अड़चनों को हटाने, खासकर इस संबंध में जहाँ प्राधिकृत कंपनी के स्तर के लेन-देन आसानी से किए जाते हैं ताकि उदारीकरण को अधिक अर्थपूर्ण बनाया जा सके।
- (घ) यह सुनिश्चित करना कि दिशानिदेश और नियम समनुरूप नियंत्रणों वाले हैं।
- (ङ) भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय के बीच विदेशी मुद्रा नियंत्रणों पर शक्तियों के प्रत्यायोजन की समीक्षा करना और अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत व्यापारियों को शक्तियों के प्रत्यायोजन के कार्य की क्षमता की चयनियता आधार पर जाँच करना।
- (च) उपरोक्त से संबंधित अन्य कोई विषय पर विचार।

इस कार्यदल को अपनी क्रियाविधि तैयार करने, विभिन्न क्षेत्रों में कार्य-समूह गठित करने, स्थायी/विशेष आमंत्रितों से सहयोग लेने, काम को सुचारू ढंग से करने के लिए विभिन्न व्यापार संगठनों, प्रतिनिधि निकायों अथवा व्यक्तियों से बैठकें आयोजित करने के लिए अधिकार प्राप्त हैं। यह कार्यदल असंगतियों और परिचालनगत अड़चनों को हटाने के लिए अपनी सिफारिशें निरंतर आधार पर देता रहेगा और यह प्रक्रिया 4 दिसंबर 2006 तक पूर्ण होने की संभावना है।

पूर्णतर पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर समिति (अध्यक्ष, श्री एस.एस. तारापोर) द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को आज भारतीय रिज़र्व बैंक की

वेबसाइट पर रखा गया। पूर्णतर पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर विचार करते समय समिति ने प्रासंगिक रूप से यह पाया कि हालांकि समग्र कार्य में उदारीकरण ने विशिष्ट उंचाई प्राप्त कर ली थी किंतु वास्तव में कुछ नियम जो पहले के सख्त नियंत्रणों से संबंधित थे वे अब भी हैं जिससे नियंत्रण और कार्यविधि के बीच बाधा आती है। उदारीकरण को वास्तव में लाने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन प्रणाली में आ रही अड़चनों को हटाने की आवश्यकता थी। अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की गई कि चालू और पूंजी खातों के लिए वर्तमान विनियामक रूपरेखा में गलतियों को तुरंत पहचानने के लिए एक भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यदल का गठन किया जाना चाहिए और परिशोधन कार्य तीन महीने के भीतर शुरू किया जाना चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र का मूल्यांकन करने के संबंध एक समिति गठित करने की घोषणा की

14 सितंबर 2006

समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए लचीली, सुविनियमित वित्तीय प्रणाली आवश्यक है। भारत में वित्तीय सुधारों के एक अभिन्न अंग के रूप में यह बात उत्तरोत्तर स्वीकार की जा रही है। एशियाई वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा 1999 में वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी) प्रारंभ करने और सदस्य देशों में मूल्यांकन करने में हुए अपने अनुभवों के अनुसरण में उक्त दोनों संस्थाओं ने सितंबर 2005 में संयुक्त रूप से एक विशद पुस्तक *हैंड बुक आन फायनांशियल सेक्टर असेसमेंट* प्रकाशित की। यह पुस्तक वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन के उपयोग हेतु डिजाइन की गई, चाहे यह मूल्यांकन देश के प्राधिकरणों द्वारा स्वयं किया जाए या विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के दलों द्वारा किया जाए। जनता के लिए उपलब्ध इस हैंडबुक का उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन के उद्देश्यों, विश्लेषणात्मक ढांचे और पद्धतियों के संबंध में एक अधिकारिक स्रोत तथा ऐसे मूल्यांकनों की तकनीक के संबंध में एक बृहद संदर्भ ग्रंथ के रूप में कार्य करना है।

आपको याद होगा कि भारत, वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम में स्वैच्छिक रूप से भाग लेने वाले शुरुआती सदस्य देशों में से एक होने के अलावा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मानकों और संहिताओं के व्यापक स्वमूल्यांकन में अग्रणी रहा है। रिज़र्व बैंक ने भी मई 2002 में एक संश्लेषण (सिंथेसिस) रिपोर्ट तथा जनवरी 2005 में एक प्रगति रिपोर्ट जारी की थी। इस प्रकार यह अनुभव बहुत उत्साहवर्धक रहा है और वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता को आगे बढ़ाते हुए तथा वित्तीय स्थिरता का संवर्धन करते हुए वित्तीय क्षेत्र के सुधार हाल के वर्षों में काफी आगे बढ़े हैं।

इसी दृष्टिकोण के अनुरूप भारत के लिए यह उचित और व्यावहारिक होगा कि वह वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन हेतु नई हैडबुक के उपयोग और साथ ही साथ किसी अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों को आधार बनाकर वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता और विकास का स्वमूल्यांकन करे। तदनुसार, भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से निर्णय लिया है कि एक “वित्तीय क्षेत्र के लिए मूल्यांकन संबंधी समिति” गठित की जाए जिसके संदर्भाधीन विषय निम्नानुसार हैं -

- (i) पुस्तिका में तथा भारतीय वित्तीय क्षेत्र के विकासशील संदर्भ के संगत वित्तीय क्षेत्र आकलन के लिए किसी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज में भी समुचित क्षेत्र, तकनीक एवं पद्धतियों की पहचान करना;
- (ii) भारतीय प्रणाली के अनुकूल संगत पद्धतियों एवं तकनीक को लागू करने तथा भारतीय वित्तीय क्षेत्र के विकास, दक्षता, प्रतिस्पर्धा और विवेकपूर्ण पहलुओं सहित एक व्यापक और वस्तुपरक आकलन के लिए प्रयत्न करना;
- (iii) भारत के लिए यथासंगत विशिष्ट विकास एवं स्थिरता के मामलों का विश्लेषण करना; और
- (iv) भारतीय रिज़र्व बैंक / भारत सरकार की वेबसाइटों के माध्यम से रिपोर्ट (रिपोर्टों) को उपलब्ध कराना।

यह समिति, आकलन के लिए विचार किए जाने वाले विषय क्षेत्र के आधार पर सहयोजित सदस्यों को शामिल कर सकती है तथा आकलन के लिए विशिष्ट क्षेत्र पर अध्ययन एवं रिपोर्ट हेतु तकनीकी/परामर्शी समूहों का गठन कर सकती है।

इस समिति की अध्यक्षता डॉ. राकेश मोहन, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक करेंगे और श्री अशोक झा, सचिव (आर्थिक कार्य) इसके सह-अध्यक्ष होंगे। डा. अशोक लाहिरी, मुख्य आर्थिक परामर्शदाता और श्री मधुसूदन प्रसाद (निधि बैंक), भारत सरकार इसके सदस्य होंगे। इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सचिवालयीन कार्य उपलब्ध कराया जाएगा।

यह समिति अपनी स्थिति की समीक्षा करेगी और अपना कार्य शुरू करने के छह महीनों में भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक प्रभागों का औचित्य सुनिश्चित करने के लिए योजना तैयार करने हेतु कार्य दल की रिपोर्ट जारी की

15 सितंबर 2006

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विचारों / सुझावों हेतु उक्त कार्यदल की रिपोर्ट आज अपनी वेबसाइट (<http://www.rbi.org.in/>) पर रखी। उक्त कार्यदल की सिफारिशों के संबंध में विचार/सुझाव रिज़र्व बैंक को ई-मेल से <mailto:kazasudhakar@rbi.org.in> या 022-22630482 पर फ़ैक्स किए जा सकते हैं।

सदस्य बैंकों की ओर से बेंचमार्क सेवा प्रभाग तय करने की भारतीय बैंक संघ की प्रथा 1999 में ही तोड़ दी गई थी और सेवा प्रभाग निर्धारित करने का निर्णय बैंकों के निदेशक मंडल के विवेक पर छोड़ दिया गया था। तब बैंकों से कहा गया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रभाग औचित्यपूर्ण हों तथा सेवा देने की औसत लागत सीधे से बाहर न हों एवं कम गतिविधियों वाले ग्राहकों को इसका दंड न भोगना पड़े। तथापि, रिज़र्व बैंक को जनता से सेवा प्रभागों के आतर्किक और अपारदर्शी होने के संबंध में अभ्यावेदन लगातार मिल रहे हैं। हमें प्राप्त ढेर सारी शिकायतें दर्शाती हैं कि बैंकों द्वारा सेवा प्रभाग निर्धारित करने में औचित्य के मुद्दे की जांच जरूरी है।

तदनुसार, वर्ष 2006-07 के अपने वार्षिक नीति वक्तव्य के अनुसार रिज़र्व बैंक ने बैंक प्रभागों का औचित्य सुनिश्चित करने हेतु एक योजना तैयार करने और उसे निष्पक्ष व्यवहार संहिता में शामिल करने, जिसकी निगरानी भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) द्वारा की जाएगी, के लिए एक कार्यदल गठित किया। इस कार्यदल के अध्यक्ष श्री एन. सदाशिवन, बैंकिंग लोकपाल, महाराष्ट्र और गोवा हैं तथा दल के अन्य सदस्य हैं श्री एच.एन. सिनोर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय बैंक संघ तथा श्री एस. दिवाकर, संयुक्त सचिव, ऑल इंडिया बैंक डिपॉजिटर्स एसोसिएशन तथा सदस्य, प्रबंध परिषद, भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड।

इस कार्यदल ने ग्राहकों को दी जानेवाली मौलिक बैंकिंग/वित्तीय सेवाओं, प्रभाग निर्धारित करने और ऐसे प्रभागों का औचित्य ठहराने के लिए बैंकों द्वारा अपनाई जानेवाली पद्धति जैसे मुद्दों की जांच की। इसने निष्पक्ष व्यवहार संहिता में इस संबंध में उपयुक्त बातें जोड़ने और भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड द्वारा उसके अनुपालन की निगरानी करने के लिए उपायों में व्यवस्था बनाने के पहलुओं की जांच की है।

इस कार्यदल ने मौलिक बैंकिंग सेवाओं के रूप में जमा खातों, उधार खातों, विप्रेषण सुविधाओं तथा चेक वसूली से संबंधित सत्ताईस सेवाएं वर्णित की हैं तथा चेक वसूली और विप्रेषण के लिए प्रत्येक मामलों में रु.10,000 तक तथा विदेशी मुद्रा लेनदेनों के लिए 500 अमरीकी डालर तक के कम मूल्य वाले लेनदेन परिभाषित किए हैं। इस कार्यदल का निष्कर्ष यह है कि बैंकों के सेवा प्रभागों के औचित्य को, सामान्यतः, लागत के आधार पर नहीं परखा जा सकता क्योंकि बैंक अपने प्रभाग तय करते समय लागत को आधार नहीं बना रहे हैं। मूल्यन पद्धति के रूप में लागत केवल थोड़े से बैंकों तक ही सीमित रह गई है जो बैंकिंग कारोबार के महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व नहीं करते। कुछ बैंक जो ‘लागत’ को आधार बना रहे हैं उनका झुकाव ‘समूहित’ उत्पाद (वर्धित सेवा युक्त खाते) देने पर रहता है जिसके लिए खाते में औसत न्यूनतम शेषराशि का स्तर ऊंचा रखना जरूरी है और इस पद्धति में वित्तीय निष्कासन का तत्व रहा है (हालांकि यह डिजाइन की वजह से नहीं होता)। तदनुसार, इस कार्यदल ने सिफारिश की है कि रिज़र्व बैंक मौलिक बैंकिंग सेवाएं देने के लिए बैंकों के लिए लागत निर्धारण और मूल्यांकन हेतु कदम उठाए।

कार्यदल ने बैंक प्रभारों के औचित्य से संबंधित व्यापक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। व्यक्तियों को पेश किए गए प्रभारों के लिए बैंक उच्चतम सीमा के अधीन यथामूल्य प्रभार लगाएंगे। कार्यदल ने व्यक्तियों से इतर खाता धारकों की तुलना में व्यक्तियों के लिए अपेक्षाकृत कम दरें, वरिष्ठ नागरिकों, ग्रामीण ग्राहकों, पेशनभोगियों, आदि जैसे लोगों के विशेष वर्ग के लिए कम दरें तय करने की सिफारिश की है।

कार्यदल ने यह भी सिफारिश की है कि बैंक व्यक्तिशः ग्राहकों को मौलिक सेवाओं के लिए लागू सभी प्रभारों के संबंध में पूरी सूचना दें तथा प्रभारों में प्रस्तावित परिवर्तन की सूचना समयोचित ढंग से दी जाए। बैंकों को सेवा प्रभारों की वसूली के लिए ग्राहकों को यथोचित ढंग से सूचित करना होगा। जब बैंक द्वारा स्वयं कोई लेन-देन करने पर अपेक्षित न्यूनतम

शेष राशि कम हो जाए या कम होने की संभावना हो तो ऐसे सभी मामलों में बैंकों को ग्राहकों का सूचित करना होगा।

जहां तक बैंक द्वारा व्यवहार संहिता के अनुपालन की निगरानी का संबंध है, कार्यदल ने यह सिफारिश की है कि भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड सेवा प्रभारों संबंधी शिकयतों के ब्यौरे सदस्य बैंकों से प्राप्त कर सकता है। कार्यदल ने यह भी सुझाव दिया है कि असामान्य वृद्धियों का पता लगाने के लिए भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड सेवा प्रभारों के स्तरों में परिवर्तन पर नज़र रख सकता है। भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड महत्वपूर्ण अनुपालन के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए उपभोक्ता संगठनों और ग्राहक सर्वेक्षणों से भी प्रतिसूचना (फीडबैक) प्राप्त कर सकता है।